कार्यालयः वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0, झांसी

पत्रांक– 2026 / 33–1 / दिनांक, जनवरी 13 ,2023।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषयः– जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाईड्रिल कालौन सिविल लाईन, झांसी द्वारा 33 / 11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उप केन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाईन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी–ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यों के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में।
प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Trans/144301/2021।

संदर्भ– 1. भारत सरकार का पत्रांक– 8B/UP/04/63/2022/FC/744, दिनांक– 09.12.2022।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का पत्रांक– 2696 / 15–1, दिनांक– 12.01.2023।

महोदय,

भारत सरकार के उपरेक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी ने अपने संदर्भित पत्र दिनांक 12.01.2023 द्वारा, उक्त लगाई गई आपत्तियों का निराकरण कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की है।

अतः प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने की संस्तुति सहित प्रेषित है।

संलग्नक– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी का
पत्रांक– 2696 / 15–1, दिनांक– 12.01.2023।

भवदीय

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

पृष्ठांकन संख्या– 2026 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कैलाश प्रकाश)
वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 2696 /15–1 दिनांक, झांसी, जनवरी 12 2023

सेवा में,

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0,
झांसी ।

विषयः– जनपद झांसी में विद्युत माध्यमिक कार्यखण्ड हाइड्रिल कालौनी सिविल लाइन, झांसी द्वारा 33 / 11 के0वी0एम0ई0एस0 बबीना 220 के0वी0 उपकेन्द्र से 33 के0वी0 की नई विद्युत (डबल लाइन) के निर्माण कार्य के प्रस्ताव में झांसी–ललितपुर मार्ग की 0.0555 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बबीना पन्ती व सेंधनी आरक्षित वन ब्लाकों की 2.448 हे0 आरक्षित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्यो के प्रयोग हेतु एवं प्रभावित 391 वृक्षों की शाख तरासी के सम्बन्ध में ।

संदर्भः– भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/04/63/2022/FC/744, दिनांक 09.12.2022 प्रस्ताव सं0 FP/UP/Trans/144301/2021

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा 03 बिन्दुओं की आपत्तियां दर्शायी गयी। उक्त आपत्तियों का निराकरण कर संस्तुति सहित इस आशय से प्रेषित कि आपत्तियों का निराकरण संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें। आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है :–

क0सं0	आपत्तियॉं	निराकरण
1	The plantation activity which is shown in Google earth imageries dated 02.05.2020, was carried out under which scheme.	प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र में जो वृक्षारोपण गूगल इमेज में प्रदर्शित हो रहा है वह वृक्षारोपण वर्ष 2008–09 में मनरेगा योजनान्तर्गत कराया गया था जो कि 14 वर्ष पूर्व का है ।
2	If the previous plantation is failure then the Site inspection report of the committee which declared it as a failure plantation needs to be submitted.	उक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का निरीक्षण क्षेत्रीय वनाधिकारी, बबीना द्वारा किया गया जिसमें पाया गया कि उक्त स्थल पर वृक्षारोपण हेतु कुछ क्षेत्र खाली पड़ा हुआ है जो कि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।
3	The said area is uncluded under which working circle in the current working plan.	उक्त प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र ग्राम ठकुरपुरा, तहसील व जिला झांसी के अन्तर्गत है। उक्त क्षेत्र वर्तमान में प्रचलित कार्ययोजना के सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्यवृत्त के अन्तर्गत आता है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ / समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी महोदय, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(एम0पी0 गौतम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
झांसी वन प्रभाग, झांसी